कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 422/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.11.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये की इनामिया 02 अभियुक्ताएं गिरफ्तार।

☐ पूजा-पाठ कराने के बहाने आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह की सदस्य थीं अभियुक्ताएं, गम्भीरपुर पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई।

घटना का विवरण-

दिनांक 28.08.2025 को थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरायपलटू निवासी रेखा कन्नौजिया पत्नी विरेन्द्र कन्नौजिया के घर तीन अज्ञात महिलाएं पहुंचीं तथा पूजा-पाठ कराने के बहाने उन्हें विश्वास में लेकर उनके आभूषण अपने पास रखवा लिए और छलपूर्वक सभी आभूषण लेकर फरार हो गईं। इस संबंध में दिनांक 12.09.2025 को रेखा कन्नौजिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 272/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आई अभियुक्ताओं के कब्जे से ठगी के आभूषण एवं नकदी बरामद हुई थी। उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियां किए जाने के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर दिनांक 21.02.2026 को मु0अ0सं0 45/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित चल रही अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक 07.09.2026 को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 07.11.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना गम्भीरपुर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए बेचन बाबा मोड़, गम्भीरपुर से समय करीब 12:45 बजे गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये की इनामिया निम्नलिखित 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. गरीबुन पत्नी आसिक, निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. मेहनाज पत्नी स्व0 गुड्डू, निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्ताओं के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ एवं जौनपुर के विभिन्न थानों में चोरी, ठगी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर के नेतृत्व में हे0का0 बसंत यादव एवं हे0का0 जयदेव मौर्य (सर्विलांस सेल आजमगढ़), हे0का0 शैलेष कुमार यादव, का0 अमित यादव, का0 श्रेष्ठ कुमार, का0 आनन्द मौर्य, का0 घनश्याम यादव एवं का0 अंशू सिद्दीकी (एसओजी टीम आजमगढ़), का0 शिवराम सरोज, का0 कमलेश विश्वकर्मा, म0का0 रागिनी गौड़, म0का0 अंजू जायसवाल एवं सुषमा सरोज (थाना गम्भीरपुर) शामिल रहे।

☐ थाना दीदारगंज एवं देवगांव पुलिस की कार्रवाई में अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त तथा किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ थाना निजामाबाद साइबर टीम की तत्परता से साइबर ठगी के पीड़ित को वापस कराए गए 25,000 रुपये।

☐ तीनों प्रकरणों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं साइबर ठगी की पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस।

थाना दीदारगंज- अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में दिनांक 07.11.2026 को थाना प्रभारी के नेतृत्व में उ0नि0 गिरजेश तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा ग्राम भादो स्थित अन्नपूर्णा भवन के पास से अभियुक्त विकास यादव पुत्र धर्मजग यादव निवासी ग्राम लसड़ा खुर्द, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष को एक अदद .32 बोर पिस्टल एवं दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ समय करीब 07:46 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी एवं लूट से संबंधित अभियोग भी पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

थाना देवगांव- किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.2026 को थाना देवगांव पर वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री को अभियुक्त प्रियांशु पुत्र राकेश निवासी ग्राम सरैया, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 336/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में दिनांक 30.10.2026 को उ0नि0 संदीप दूबे यादव, चौकी प्रभारी पल्हना, मय हमराह पुलिस बल द्वारा वांछित अभियुक्त प्रियांशु पुत्र राकेश निवासी ग्राम सरैया, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को पल्हना तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना निजामाबाद- साइबर ठगी के पीड़ित को वापस कराए गए 25,000 रुपये

दिनांक 27.10.2026 को आवेदक बाबूराम यादव पुत्र सागर यादव निवासी ग्राम चुनहटा शिवली, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 20.07.2026 को उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 25,000 रुपये यूपीआई के माध्यम से संदिग्ध खाते में स्थानांतरित हो गए थे। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ठगी की धनराशि होल्ड कराई गई। तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा न्यायालय के आदेश के माध्यम से दिनांक 06.11.2026 को पीड़ित के खाते में ठगी की पूरी धनराशि 25,000 रुपये वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना दीदारगंज: उ0नि0 गिरजेश तिवारी, का0 सतेन्द्र कुमार गुप्ता, का0 हितेन्द्र यादव एवं का0 दयाशंकर यादव।

थाना देवगांव: उ0नि0 संदीप दूबे यादव एवं हे0का0 शिवप्रकाश यादव।

थाना निजामाबाद साइबर टीम: उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी।